प्रेषक

प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

सेवा मे

1. सभी माननीय मन्त्रीगण हरियाणा राज्य।
2. सभी माननीय विधायक (एम.एल.ए.) हरियाणा राज्य।

यादी कमांक वी.ए.जी.वाई.–2019/685
चण्डीगढ़, दिनांक 08-02-2019

विषयः– प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को 2.00 करोड़ रूपये की निर्धारित धनराशि उपलब्ध करवाने बारे।

श्रीमान/श्रीमती जी,

जैसाकि आपको विदित है कि राज्य मे विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधायक को उन द्वारा चयनित गांव जिसकी आबादी 5000 तक है, को 50.00 लाख रूपये, 5000 से ज्यादा व 10000 से कम आबादी वाले गांव के लिए 1.00 करोड़ तथा 10000 से ज्यादा आबादी वाले गांव के लिए 2.00 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है।

अब राज्य सरकार ने दिनांक 26.12.2018 को निर्णय लिया है कि राज्य के सभी माननीय विधायकों को एक वर्ष में 2.00 करोड़ रूपये की धनराशि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपलब्ध करवाई जायेगी। यह राशि एक या एक से अधिक गांवों में भी खर्च की जा सकती है, मगर विधायक आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत विधायक द्वारा चुने गए प्रत्येक व्यक्तिगत गांव के लिए राशि मौजुदा प्रावधान जोकि इस विभाग के यादी क्रमांक वी.ए.जी.वाई.–2018/1624, दिनांक 21.03.2018 द्वारा निर्धारित किये गये थे, के अनुसार केवल तीन राशियों मे से एक तक ही सीमित होगी।

संयुक्त निदेशक
कृतेः प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

पृ0 क्र0 वी.ए.जी.वाई.–2019/686
चण्डीगढ़, दिनांक 08-02-2019

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है:–

1. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी (वी.ए.जी.वाई.)।
2. हरियाणा राज्य के सभी अतिरिक्त उपायुक्त।

संयुक्त निदेशक
कृतेः प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

पृ0 क0 वी.ए.जी.वाई.–2019/687 चण्डीगढ़, दिनांक 08.02.2019

इसकी एक प्रति मुख्य प्रशासक, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, सैक्टर 28, चण्डीगढ़, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है।

संयुक्त निदेशक
कृतेः प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

पृ0 क0 वी.ए.जी.वाई.–2019/688 चण्डीगढ़, दिनांक 08.02.2019

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाती हैः–

1. निजी सचिव/मुख्यमन्त्री को माननीय मुख्यमन्त्री, हरियाणा के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव/विकास एवं पंचायत मन्त्री को माननीय विकास एवं पंचायत मन्त्री, हरियाणा के सूचनार्थ ।
3. निजी सचिव/प्रधान सचिव मुख्यमन्त्री को प्रधान सचिव मुख्यमन्त्री, हरियाणा के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव/प्रधान सचिव (ग्रा0वि0) को प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव/निदेशक (ग्रा0वि0) को निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा के सूचनार्थ।

संयुक्त निदेशक
कृतेः प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

पृ0 क0 वी.ए.जी.वाई.–2019/689 चण्डीगढ़, दिनांक 08.02.2019

इसकी एक प्रति सिस्टम एनालिस्ट, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतू प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक
कृतेः प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

\\pe-pc\ro-a\agy\vagy\letter\providing 2 crore.docx